

25/5  
23

पार्सी वकील के मिसल तलबी आवेदन पर  
पत्रावली फेंच डुरी। पार्सी मद्य वकील उपस्थित।  
मूल वधि खारिज हो जाने के कारण पार्थना फा  
स्वगत खारिज किया जाता है। पत्रावली के मल  
शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।  
निर्णय आज मई हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में  
सुनाया गया।

**उपखण्ड अधिकारी**

सीकर (राज.)